# महानिदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0 उत्तराखण्ड

डाण्डा लखौण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

ई–मेल dghealth.uttarakhand@gmail.com, दूरभाष: 0135–2608763, फैक्स: 0135–2608746


**पत्रांक : 9प/रा0का0/मलेरिया/1/2020/** 2293 दिनांक :30जुलाई, 2020

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तराखण्ड।

**विषय – डेंगू रोकथाम एंव नियंत्रण हेतु कार्यवाही विषयक।**

महोदय/महोदया,

जैसा कि आप विदित है कि विगत वर्षो से डेंगू रोग राज्य में एक प्रमुख जन स्वास्थ्य समस्या के रूप में परिलक्षित हो रहा है। इसी क्रम में आगामी माहों में डेंगू रोग के प्रसारित होने की सम्भावना को देखते हुए पूर्व में सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के पत्रांक 484/sec-MH/2020 दिनांक 25/06/2020 (संलग्न) एवं अधोहस्ताक्षरी के पत्रांक पी0ए0–डी0जी0एम0एची/2020/164 दिनांक 26/06/2020 एवं 3प/पैरा/मलेरिया/16/2017/10323 दिनांक 14/07/2020 (संलग्न) द्वारा समस्त जनपदों में डेंगू रोग के समयान्तर्गत व प्रभावी रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु एडवायजरी प्रेषित की गई थी।

उपरोक्त के क्रम में डेंगू रोग रोकथाम किये जाने हेतु पुनः दिशा निर्देश संलग्न है। अतः आप डेंगू रोग की रोकथाम हेतु निम्न कार्यवाहियां करना सुनिश्चित करें:

1. राज्य में डेंगू रोग को Notifiable Disease घोषित करने की अधिसूचना "उत्तराखण्ड महामारी (मलेरिया एवं डेगू) विनियम 2019" दिनांक 27 सितम्बर 2019 (संलग्न) को जारी की जा चुकी है जिसमें निहित समस्त तकनीकी एवं प्रशासनिक कार्यवाहियों का जनपद स्तर पर क्रियान्वयन करना सुनिश्चित करें।
2. समस्त राजकीय स्वास्थ्य संस्थानों तथा निजी चिकित्सा संस्थानो/जांच केन्द्रों को निर्देशित करें कि यदि उनके संस्थान में कोई संदिग्ध डेंगू रोगी आता है अथवा डेंगू रोगी की पुष्टि होती है तो उसकी जानकारी सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय को अविलम्ब रूप से उपलब्ध कराएँ।
3. जनपद में डेंगू रोग से हुई मृत्यु का तीन कार्यदिवस के भीतर Dengue Death Audit Committee द्वारा आडिट कर रिर्पोट uknvbdcp@gmail.com पर E-mail भेजना सुनिश्चित करें। (प्रारूप संलग्न)
4. डेंगू की दैनिक रिर्पोट (केस शून्य होने पर भी) सायं 4:00 बजे तक नियमित रूप से राज्य स्तर पर uknvbdcp@gmail.com पर E-mail भेजना सुनिश्चित करें ताकि भारत सरकार की अपेक्षा अनुसार प्रतिदिन डेंगू की स्थिति से केन्द्र को अवगत कराया जा सके।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि कोविड–19 महामारी के नियंत्रण हेतु जिस तन्मयता एवं निष्ठा के साथ आप द्वारा इस महामारी को फैलने से रोकने में अपना नेतृत्व प्रदान किया गया है, उसी प्रकार डेंगू से बचाव एवं नियंत्रण हेतु भी यथोचित कार्यवाही अमल मे लाने का कष्ट करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीया

(डा0 अमिता उप्रेती)
महानिदेशक

**पत्रांक : 9प/रा0का0/मलेरिया/1/2020/**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित :

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रभारी सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड शासन।
3. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिला अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. प्रभारी अधिकारी एन0वी0बी0डी0सी0पी0।

(डा0 अमिता उप्रेती)
महानिदेशक

Scanned with CamScanner